समाधान शिविर के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को मिल रहा शासकीय योजनाओं का लाभ -राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह

- समाधान शिविर में पहुंचे महापौर जीवर्धन चौहान, शिविर का लाभ उठाने लोगों को किया प्रोत्साहित
- सामुदायिक निवेश कोष से स्व-सहायता समूहों को मिला 33 लाख 60 हजार की राशि
- पीएम आवास योजना से हितग्राहियों को मिला पक्का आवास

रायगढ़

सुशासन तिहार अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत रायगढ़ के खैरपुर, तमनार के धौराभांटा, लैलूंगा के लारीपानी, धरमजयगढ़ के बोरो, इसी प्रकार नगरीय निकाय अंतर्गत रायगढ़ स्टेडियम एवं पुसौर में कोलतापारा सामुदायिक भवन में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। जहां विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ ही प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में आवेदकों को जानकारी प्रदान की गई। मौके पर पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया।

सुशासन तिहार अंतर्गत लैलूंगा के लारीपानी में आयोजित समाधान शिविर राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह शामिल हुए। सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह ने जन सामान्य को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप जन सामान्य की समस्याओं के समाधान के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। समाधान शिविर के माध्यम से लोग अपनी समस्याए मांग एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण प्राप्त कर रहे हैं। समाधान शिविर का उद्देश्य जिले के अंतिम छोर के व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के साथ ही उन्हें विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करना है।

नगरीय निकाय अंतर्गत रायगढ़ स्टेडियम बोईरदादर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें महापौर जीवर्धन चौहान एवं सभापति डिग्री लाल साहू भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभागीय स्टॉल का अवलोकन करते हुए प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में पहुंच कर स्वास्थ्य जांच का लाभ भी लिया। मौके पर पुष्पा देवांगन, प्रमिला तिर्की, अंजली सिदार एवं रायमनी तिर्की को राशन कार्ड वितरित किया गया। इस अवसर पर पंकज कंकरवाल, मुक्ति नाथ बबुआ, अमित शर्मा, त्रिवेणी डहिरे, पदुम लाल परजा, अजय मिश्रा, नेहा देवांगन, उपायुक्त सुतीक्षण यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

शिविर में पात्र हितग्राहियों को विभागीय योजना से लाभान्वित भी किया गया। इस दौरान पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की खुशियों की चाबी सौंपी गई। लारीपानी निवासी उत्तरा राठिया, मुनीराम राठिया एवं निरपति राठिया ने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से वे पक्का आवास नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज पीएम आवास योजना के माध्यम से उनके पक्के आवास का सपना पूरा हुआ है। इससे बारिश के दिनों में होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। राशन कार्ड हितग्राही फुलीकुंडा निवासी सुमित्रा राठिया, रमिला राठिया, झगरपुर निवासी दुतिका खडिया़ ने कहा कि शिविर में राशन कार्ड मिलने से खुशी ही रही है, इससे अब उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने में समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सामुदायिक निवेश कोष के माध्यम से 33 लाख 60 हजार की राशि चेक के माध्यम से महिला कल्याण उपसंघ जगतपुर को प्रदान किया गया। इससे स्व-सहायता समूहों की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी हो पाएंगी।

पशुधन विभाग द्वारा कृमिनाशक, कीलनी नाशक एवं मिनरल मिक्सर का वितरण किया गया। उद्यानिकी विभाग द्वारा विभिन्न स्व-सहायता समूह को फलदार वृक्ष वितरित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती माताओं की गोद भराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन करवाया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष जिला पंचायत रायगढ़ दीपक सिदार, सदस्य जिला पंचायत शांता भगत, अध्यक्ष जनपद पंचायत लैलूंगा ज्योति भगत, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत लैलूंगा मनोज अग्रवाल, जनपद सदस्य सौभागी गुप्ता, हरिशंकर राठिया, रहस बाई चौहान, कौशल्या साहू, मनोज सतपथी, संजय पटेल, एसडीएम अक्षा गुप्ता, तहसीलदार शिवम पाण्डेय, सीईओ सनत नायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

20 मई को इन स्थानों पर लगेंगे समाधान शिविर- सुशासन तिहार के तीसरे चरण में 20 मई को जिले के 04 स्थानों में प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें घरघोड़ा के अम्बेडकर चौक सामुदायिक भवन, धरमजयगढ़ के मंगल भवन नीचेपारा, किरोड़ीमल नगर के प्राथमिक शाला स्कूल रेलवे लाईन पारा एवं खरसिया के नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला शामिल है।

महत्वपूर्ण एवं खास

कुडुमकेला में 75 लीटर महुआ शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 19 मई 2025 को थाना घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम कुडुमकेला स्थित नवाडीह में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 75 लीटर महुआ शराब, बिक्री की राशि और शराब निर्माण में उपयोग होने वाले बर्तन वगैरह बरामद किए गए हैं। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस को सूचना मिली थी कि नवाडीह, कुडुमकेला निवासी बालिक राम मांझी अपने घर के बाड़ी में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है और लोगों को शराब पिला रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता से मौके पर दबिश दी। पुलिस को देख शराब पीने वाले कुछ लोग मौके से भाग निकले, जबकि आरोपी बालिक राम मांझी को पुलिस ने वहीं से पकड़ लिया। तलाशी में आरोपी के कब्जे से 50 लीटर, 20 लीटर और 10 लीटर क्षमता वाली जरिकेन में कुल 75 लीटर महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 11,250 रुपये है, बरामद की गई। साथ ही बिक्री की रकम 700 रुपये, शराब बनाने के तीन बर्तन, डिस्पोजल कप और पानी पाउच भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी बालिक राम मांझी, पिता स्वर्गीय जनक राम मांझी, उम्र 42 वर्ष, निवासी नवाडीह, थाना घरघोड़ा के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क), 34(ख) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

10 लीटर महुआ शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 19 मई 2025 को थाना जूटमिल पुलिस ने ग्राम बनसिया में दबिश देकर अवैध रूप से महुआ शराब रखने और विक्रय करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही में पुलिस ने आरोपी के घर से 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी जूटमिल प्रशांत राव को सूचना मिली थी कि बनसिया निवासी गणेश जाटवर अपने घर में अवैध रूप से शराब तैयार कर बेच रहा है। सूचना मिलते ही महिला प्रधान आरक्षक क्लोस्टिका खरे, आरक्षक लखेश्वर पुरसेठ और शशिभूषण साहू के साथ पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। आरोपी गणेश जाटवर मौके पर मौजूद मिला। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके मकान के पटाव से 10 लीटर की क्षमता वाली डिब्बे में अवैध महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ थाना जूटमिल में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई है।

ऑपरेशन अंकुश : 9 साल से चोरी के प्रकरण में फरार आरोपी आया पुलिस की गिरफ्त में

- वर्ष 2016 में अपने एक साथी के साथ लावाकेरा में दिया था, चोरी की घटना को अंजाम

जशपुर । आरएनएस

पुराने प्रकरणों में फरार आरोपियों की पता साजी व गिरफ्तारी हेतु जशपुर पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश व नेतृत्व में ऑपरेशन अंकुश चला रही है, जिसके तहत पुराने प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को चिन्हित कर, उनकी धर पकड़ हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर पुलिस को तपकरा क्षेत्रांतर्गत एक चोरी के मामले में 09 वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्ष 2016 में थाना तपकरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम लावाकेरा निवासी प्रार्थी सुख सागर साय ने थाना तपकरा को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 27.02.2016 को वह अपने परिवार के साथ, घर को ताला बंद कर, गांव में ही एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, कार्यक्रम के पश्चात जब वे रात्रि करीबन 12.30 बजे के आसपास जब वापस घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था, अंदर जाकर देखा तो पाया कि घर के अंदर पेटी में रखा 1500 रु नगद नहीं था, व एस बी आई बैंक का ए टी एम कार्ड, कियोस्क कार्ड तथा वोटर आईडी को भी चोर, चोरी कर ले गए थे। उन्होंने गांव के ही अनूप साय व कमल साय, दोनों निवासी लावाकेरा ,बेलडीपा के ऊपर संदेह जताया था।

पुलिस के द्वारा रिपोर्ट पर थाना तपकरा में चोरी के लिए भा. द. वि. की धारा 457,380 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया था।

विवेचना दौरान पुलिस के द्वारा मामले के एक आरोपी अनूप साय को गिरफ्तार कर लिया गया था, व उसके कब्जे से चोरी हुए, प्रार्थी के एटीएम कार्ड, कियोस्क कार्ड व वोटर आईडी को भी बरामद कर लिया गया था, तथा चोरी की रकम 1500 रु में से उसके हिस्से में मिले 500 रु को खर्च करना बताया था।

मामले का दूसरा आरोपी कमल सिंह घटना दिनांक से ही फरार था। पुलिस के द्वारा ऑपरेशन अंकुश के तहत आरोपी कमल साय को चिन्हित कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था व साथ ही पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद भी ली जा रही थी, इसी दौरान दिनांक 18.05.25 को पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि उक्त चोरी का लंबे समय से फरार आरोपी कमल साय, को बेलडीपा, लावाकेरा में घूमते हुए देखा गया है, जिस पर मुखबिर की सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम के द्वारा बेलडीपा, लावाकेरा जाकर घेराबंदी कर,फरार आरोपी। कमल साय को उसके घर से हिरासत में लिया गया है।

पुलिस की पूछताछ में आरोपी कमल साय के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

मामले की कार्यवाही व फरार आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तपकरा निरीक्षक संदीप कौशिक, सहायक उप निरीक्षक प्रेमिका कुजूर, प्रधान आरक्षक अजय खेस व आरक्षक अमित त्रिपाठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

ग्राम नवागांव में चक्रधरनगर पुलिस की दबिश में 8 लीटर महुआ शराब जब्त

रायगढ़

थाना प्रभारी निरीक्षक अमित शुक्ला के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 18 मई 2025 को ग्राम नवागांव में दबिश देकर पुलिस ने अवैध महुआ शराब रखने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम नवागांव निवासी श्याम लाल पाव नामक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब बेचने की तैयारी कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद चक्रधरनगर पुलिस की टीम ने मौके पर रेड कार्यवाही की, जहां आरोपी श्याम लाल पाव पिता पांडव पाव, उम्र 27 वर्ष निवासी नवागांव, को पकड़कर उसके कब्जे से दो जरीकेन में कुल 8 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 800 रुपये है।

आरोपी के खिलाफ थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 204/2025 अंतर्गत धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। विधिवत गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल वारंट पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

महुआ पेड़ की छांव में सुशासन की चौपाल: चुकतीपानी में मुख्यमंत्री का अचानक दौरा

रायपुर । आरएनएस

सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बिना पूर्व सूचना के हेलीकॉप्टर से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के बैगा बाहुल्य ग्राम चुकतीपानी पहुंचे। ग्रामीण अपने बीच मुख्यमंत्री साय को यूं अचानक पाकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में यह हैरानी स्वागत में बदल गई। ग्रामीणों ने गुलमोहर की माला, तेंदू फल की टोकरी और स्थानीय फूल-पत्तियों से बना गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री साय का आत्मीय अभिनंदन किया। गांव के मिडिल स्कूल परिसर में महुआ पेड़ के नीचे लगी चौपाल में मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीणों से करते हुए कहा कि सरकार कैसे काम कर रही है, यह जानने मैं स्वयं आपके घर आया हूं। जो भी परेशानी है, नि:संकोच बताइए। चौपाल के दौरान जब मुख्यमंत्री की नजर ओवरफ्लो हो रही पानी टंकी पर पड़ी, तो उन्होंने पानी की बर्बादी पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर पीएचई विभाग के सब इंजीनियर को फटकारते हुए कहा कि या तो काम करो, या सस्पेंड होने के लिए तैयार रहो। जनसंवाद के दौरान महिलाओं ने बताया कि वे महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि से स्व-सहायता समूह बनाकर जैविक खेती कर रही हैं और स्थानीय मंडियों में सब्जियाँ बेचकर आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट से उगाई गई लाल भाजी भी मुख्यमंत्री को भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीणों की मांग पर मिडिल स्कूल भवन के मरम्मत की घोषणा की, साथ ही स्कूल मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की।

मंत्री का ओएसडी बताकर सरपंचों को ठगा, शहजादा पर अपराध दर्ज

कोरबा । आरएनएस

गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यो की जल्द स्वीकृति दिलाने के नाम पर एक प्रतिशत कमीशन की राशि लेकर ठगने वाले शहजादा उर्फ जावेद पर अपराध दर्ज कर लिया गया है।

मामले का प्रार्थी चन्द्रप्रीतम सिंह पिता हरनाम सिंह 53 वर्ष जाति भैना निवासी ग्राम खरडी थाना पेण्ड्रा जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही का रहने वाला है। वह सन् 2019 से 2024 तक ग्राम पंचायत खरडी थाना पेण्ड्रा के सरपंच के पद पर रहकर कार्य कर रहा था। सेवा काल के दौरान 5 मई 2023 को दोपहर लगभग 3 बजे शहजादा उर्फ राजू उर्फ जावेद खान ने उसके घर आकर अपने आप को भूतपूर्व शिक्षामंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का ओ. एस. डी. हूं बोलकर प्रेमसाय टेकाम एवं पूर्व प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल का लेटर पेड दिखाकर ग्राम पंचायत में जल्दी से विकास कार्य के नाम से रकम स्वीकृत कराने का भरोसा दिलाकर बोला कि जल्दी से काम हो जायेगा। स्वीकृत राशि का एक प्रतिशत कमीशन के रूप में एडवांस देना पड़ेगा तब प्रार्थी उसके झांसे में आकर 50,000 रूपये उसे दिया। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं कराया गया और पैसा वापस मांगने पर नहीं दे रहा है। जब प्रार्थी ने पता लगाया तो शहजादा उर्फ राजू उर्फ जावेद खान के नाम से कोई व्यक्ति प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल तथा मंत्री प्रेमसाय टेकाम का ओएसडी व काम नहीं करता है। उससे अपना पैसा मांगा तो नहीं दे रहा है, धोखाधड़ी कर रकम हड़प लिया है।

पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी शहजादा उर्फ राजू उर्फ जावेद खान,निवासी ग्राम गेवरा बस्ती थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा, वर्तमान पता हाउसिंग बोर्ड चिल्हाटी चैक मोपका थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर के विरुद्ध धारा 420 के तहत 17 मई 2025 को जुर्म दर्ज कर विवेचना जारी रखी है।

आरोपी ने प्रार्थी को कांक्रीट, सडक, पुलिया, रिटर्निंग वाल आदि निर्माण कार्य का स्वीकृति आदेश 15 दिन के अंदर 50 लाख रूपये तक का काम दिलाने की मौखिक गारंटी दिया था। काम दिलाने के बदले 15 मई 2023 को नगद 35,000ध् रूपये दीपक श्रीवास बिलासपुर निवासी की उपस्थिति में लिया था। फिर उसके कहने पर उसकी पत्नी सोनी खान के फोन-पे में दिनांक 19 मई 2023 को 10,000 रूपये तथा 5000 रूपये भेजा। कुछ दिन बाद शहजादा खान ने फोन उठाना बंद कर दिया। प्रार्थी के अलावा ग्राम देवरीखुर्द की भुतपूर्व सरपंच सीताबाई मार्को से भी लेटरपेड दिखा कर कांक्रीट, सडक, पुलिया, रिटर्निंग वाल निर्माण कार्य की स्वीकृति दिलवाने के नाम पर 25,000 रूपये ठगी किया है। प्रार्थी का कुल रकम 50,000ध्रूपये नहीं लौटाया है।

शासकीय हेमसुन्दर गुप्ता उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय महापल्ली में तारमण्डल प्रदर्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन

- बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच विकसित करने एवं प्राचीन सभ्यता की जानकारी देने 3 डी में हुआ प्रदर्शन

रायगढ़

शासकीय हेमसुन्दर गुप्ता उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय महापल्ली, रायगढ़ में तारमण्डल प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच विकसित करने इस प्रदर्शनी में प्राचीन सभ्यता की जानकारी, अंतरिक्ष के बारे में, ब्रम्हाण्ड के ब्लैक होल, पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से डॉयनासोर का धरती से विलुप्त होना, धरती में ज्वालामुखी से संबंधित एवं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जैसे विभिन्न भौगोलिक घटनाओं का 3 डी ऑडियो-विडियो प्रदर्शन किया गया। जिसे उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भौगोलिक घटनाओं को बड़े उत्साहपूर्वक देखा एवं समझा। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं में विज्ञान की बारीकियों के साथ अवगत करना एवं विषय के प्रति रुझान बढ़ना था।

कार्यक्रम प्रात: 8 से दोपहर 1 बजे तक अयोजित किया गया। जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं सहित संकुल स्तर के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के बच्चे, सेजेस लोईंग के छात्र-छात्राओं के साथ ही सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा बच्चों साथ आए हुए पालक तथा ग्रामीणजनों सहित कुल 480 लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम में संस्था की प्राचार्य जे.सुजाता राव एवं अन्य शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ ही सभी छात्र-छात्राओं से अपना अनुभव साझा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से लोग अत्यंत हर्षित एवं उत्साहित थे। उन्होंने इस प्रकार के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिले के अन्य स्कूलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित की जानी चाहिए, ताकि बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने एवं भौगोलिक बदलाव को समझने में आसानी हो।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अत: शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।
पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत 1280 परिवारों को दिया गया बिजली का नया कनेक्शन

- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, राजनांदगांव
- 7 करोड़ 33 लाख रुपये से 100 नक्सल प्रभावित ग्रामों के मजरा टोलाओं को किया गया रौशन

मोहला-मानपुर । आरएनएस

नवीन जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के सुदूर व सघन वनों में बसे एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामों के पारा, मोहल्ला एवं मजरा टोलाओं को मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत 07 करोड़ 33 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर विद्युतीकृत कर दिया गया है। इन बसाहटों में निवासरत 1280 परिवारों का जीवन बिजली की रोशनी से वंचित था। यहां बसे परिवार लालटेन व चिमनी के सहारे अपनी जिन्दगी बिता रहे थे। बिजली विभाग द्वारा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिलें के अस्तित्व में आने के बाद से युद्धस्तर पर अविद्युतकृत बसाहटों को बिजली से रौशन करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु निरंतर कार्यवाही की गई है। फलस्वरूप 1 साल के भीतर ही निविदा जारी करके कार्यादेष संबंधित एजेन्सी को दिलाकर विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण किया गया। जिससे ग्राम हुरेली, कुन्जकन्हार, मरकाटोला, रेंगाटोला, आलकन्हार, लमटी, मुन्देली, अमापायली, भुरसा, छुरिया, एकटकन्हार, सुवरबोड़, कोतरी, कोरकोट्टी, अडमा, माझीटोला, मालड़ोंगरी, चिल्हाटी, जादूटोला, मरारटोला, सरखेड़ा, जामड़ी, तोलुम, नवागांव, हलोरा, मरापीटोला, तेरेगांव, ख्वासफडक्की, बसेली, गोटुलमुड़ा, मिचगांव, मरकेली, माल्हर, खैरकट्टा, कांडे, खुर्सेखुर्द, सरोली, पुन्नारीटोला, शेरपार, ईरागांव, नेडग़ांव, मेढ़ा, कट्टापार, ककईपार, दोरदे, अलकन्हार, कटेंगाटोला, सुवरपाल, कुम्हली, तुमड़ीकसा, रानवाही, रेंगाकठेरा, कोरवा, डोकलाकोंडे, मोहला, नेतामटोला, नातीपार, कुडेंराटोला, कुम्हारी, दनगढ़, जिर्राटोला, पदगोंदी, बगनरा, बिहरीकला, कौड़ीकसा, मार्री, एहोड़ा, चांवरगांव, पटेली, मंडावीटोला, मुरेर, नरसूटोला, तोयागोंदी, पाटनवाडवी,वासड़ी, पटेली, गुन्डरदेही, पंडरीतरई, आतरगांव, बुटाकसा, परसाटोला, तुमड़ीकसा, घोरदा, माहुद, पांगरी, केसरीटोला, नेतामटोला, करमतरा, हांडीटोला, सिंगरायटोला, ओटेबांधा, हाथीकन्हार, पेन्दलकुही, अडमागोंदी, तिरपेमेटा, रंगकठेरा, केकतीटोला एवं छछानपहरी के पारा, मोहल्ला एवं मजराटोलाओं के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक शिरीष सेलट ने बताया कि वनों से घिरे इन ग्रामों के बसाहटों तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। उन्होंने कहा कि सघन वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन ग्रामों में 11 के.व्ही. लाइनों को बिछाने के लिए वन विभाग से एनओसी लेना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लगभग 07 करोड़ 33 लाख की राशि की प्राक्कलन स्वीकृत कर सघन वनों के बीच से विषम परिस्थितियों में लाईन खींचकर विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। इन अविद्युतीकृत बसाहटों के लोगों के अंधेरे जीवन में रोशनी फैलाने के लिए कठिन पहुंच मार्ग एवं घने वनों के बीच से अत्यंत असुविधाजनक स्थिति में भी लाईन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है।